LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI **Bulletin Part-I**

(Brief summary of proceedings)

Tuesday, 01 December, 2015/ 10 Margshirsha, 1937 (Saka)

No. 22 2.01 P.M.

1.

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

- 2.02 P.M. Special Mention(Rule-280) :- The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair.
 - Sh. Jagdish Pradhan 1.
 - Sh. Raju Dhingan 2.
 - 3. Sh. Rajender Pal Gautam
 - 4. Sh. Naresh Balyan
 - 5. Sh. Mahender Goel
 - Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden) 6.
 - 7. Sh. Vijender Garg
 - Sh. Vijender Gupta (Minister of Health intervened). 8.
 - 9. Sh. S.K. Bagga
 - 10. Sh. Kartar Singh Tanwar
- 2. 2.36 P.M. The Chair stated that a Notice of Calling Attention under Rule-54 had been received from Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition regarding situation arising out of acute shortage of ventilators in the Government Hospitals. He further stated that the said matter had already been raised by the Sh. Vijender Gupta under Rule-280.

The Chair disallowed the notice.

2.38 P.M. Sh. Pankaj Pushkar sought to know about the fate of the Notice of breach 3. of privilege and contempt given by him under Rule-66. The Chair stated that the aforesaid notice was under his consideration and ruling will be given at an appropriate time.

4 2.41 P.M. Calling Attention (Rule-54) :

1. Sh. Gulab Singh called the attention of the House towards directions of the South Delhi Municipal Corporation to its officers to not accompany the MLAs' for area visits.

The following Members also expressed their views:-

- 2. Sh. Naresh Balvan
- 3. Col. Devender Sehrawat
- 4. Sh. Somnath Bharti
- 5. Ms. Bhavna Gaur
- 6. Sh. Mahender Yadav
- 7. Sh. Kailash Gahlot
- 8. Sh. Kartar Singh Tanwar
- 9. Sh. Vijender Gupta

(Hon'ble Speaker also expressed his views on the aforesaid matter.)

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister made a brief statement on the issue raised by Sh. Gulab Singh.

- 5. 3.17 P.M.
- 2. Sh. Anil Kumar Bajpai called the attention of the House towards installation of electricity meters.

The following Members also expressed their views :-

2. Sh. Akhilesh Pati Tripathi

- 3. Sh. Ajay Dutt
- 4. Sh. Amanatullah Khan
- 5. Sh. Somnath Bharti

Sh. Satyendar Jain, Minister of Power made a brief statement on the issue raised by Sh. Anil Kumar Bajpai.

6. 3.36 P.M. 3. **Sh. Mahender Goel** called the attention of the House towards rising prices of pulses.

Sh. Vijender Gupta participated in the discussion.

(Hon'ble Speaker also expressed his views on the aforesaid matter.)

Sh. Imran Hussain, Minister of Food & Supplies made a brief statement on the issue raised by Sh. Mahender Goel.

- 7. 4.05 P.M. The Chair adjourned the House till 4.30 P.M. for Tea Break.
- 8. 4.35 P.M. House reassembled. Hon'ble Speaker in- Chair.
- 9. 4.36 P.M. **Further Discussion** on the three Bills pertaining to the Department of Education which were introduced by Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister :-

The following Members participated in the debate :-

- 13. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)
- 14. Ms. Bhavna Gaur
- 15. Sh. Jagdish Pradhan
- 16. Sh. Vijender Garg
- 17. Sh. Madan Lal
- 18. Sh. Vijender Gupta
- 10. 5.35 P.M. Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister spoke on the Bills.
- 11. 6.00 P.M. The House agreed to extend the sitting by one hour.
- 12. 6.01 P.M. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister replied to the debate.
- 13. 6.05 P.M. Sh. Vijender Gupta and Sh. Jagdish Pradhan, Members of BJP walked out of the House in protest against the passing of aforesaid Bills.
- 14. 6.06 P.M. The Chair asked Sh. Pankaj Pushkar to move the amendments given by him wherein he had suggested that the three Bills under consideration now be referred to the Select Committee.

Sh. Pankaj Pushkar made a brief statement and stated that he was not moving the amendments.

- 15. 6.20 P.M. **Passing of Bills** :
 - The "Delhi School (Verification of Accounts and Refund of Excess Fee) Bill, 2015" (Bill No.09 of 2015) introduced on 20 November, 2015 by Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister was considered clausewise.

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister moved that the **"Delhi School** (Verification of Accounts and Refund of Excess Fee) Bill, 2015" (Bill No.09 of 2015) introduced on 20 November, 2015 be passed.

The Motion was put to vote.

Sh. Saurabh Bhardwaj demanded division of votes on the Motion.

61 Members voted in favour of the Motion by standing up at their seats. No Member voted against the Motion or abstained.

The Motion was adopted. The Bill was passed.

16. 6.29 P.M.
 2. The "Delhi School Education (Amendment) Bill, 2015" (Bill No.10 of 2015) introduced on 20 November, 2015 by Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister was considered clause-wise.

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister moved the following amendment in clause-6 of the Bill :-

"In clause 6 of the Bill where new section 27A is sought to be inserted, the words 'except section 16A' appearing in the second line after the words 'provisions of this Act' and before the words, 'shall, on conviction' be deleted."

The Motion was put to vote and adopted by voice vote.

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister moved that the **"Delhi School Education (Amendment) Bill, 2015" (Bill No.10 of 2015)** introduced on 20 November, 2015 be passed.

The Motion was put to vote.

Sh. Satyendar Jain, Minister of Health demanded division of votes on the Motion.

61 Members voted in favour of the Motion by standing up at their seats. No Members voted against the Motion or abstained.

The Motion was adopted. The Bill was passed.

 17. 6.37 P.M.
 3. "The Right of Children to Free and Compulsory Education (Delhi Amendment) Bill, 2015" (Bill No.15 of 2015) introduced on 27 November, 2015 by Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister was considered clause-wise.

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister moved that **"The Right of Children to Free and Compulsory Education (Delhi Amendment) Bill, 2015" (Bill No.15 of 2015)** introduced on 27 November, 2015 be passed.

The Motion was put to vote.

Ms. Rakhi Birla demanded division of votes on the Motion.

61 Members voted in favour of the Motion by standing up at their seats. No Members voted against the Motion or abstained.

The Motion was adopted. The Bill was passed.

- 6.42 P.M. Presentation and Voting on the Supplementary Demands (2015-2016) : Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister presented the first batch of Supplementary Demands for the Financial Year 2015-2016. The Supplementary Demands were considered Demand-wise and passed by voice-vote.
- 19. 6.47 P.M. <u>Appropriation (No.3) Bill, 2015</u>: Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister introduced the 'Appropriation (No.3) Bill, 2015' (Bill No. 17 of 2015) with the leave of the House. Dy. Chief Minister moved that the Bill be considered. The Bill was considered clause-wise. Dy. Chief Minister moved that the 'Appropriation (No.3) Bill, 2015' (Bill No. 17 of 2015)' be passed. The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
 20. 6.50 P.M. The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Wednesday, 02 December 2015.

Delhi

Prasanna Kumar Suryadevara

01 December, 2015

Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली समाचार भाग–1 कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015/मार्गशीर्ष 10, 1937(शक)

संख्या-22

2.01 बजे

1. 2.02 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए। विशेष उल्लेख (नियम-280) :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए:-

- 1. श्री जगदीश प्रधान
- 2. श्री राजू धिंगान

4.

6.

8.

3. श्री राजेन्द्र पाल गौतम

- श्री नरेश बाल्यान
- 5. श्री महेन्द्र गोयल
 - श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
- 7. श्री विजेन्द्र गर्ग
 - श्री विजेन्द्र गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
- 9. श्री एस के.वग्गा
- 10. श्री करतार सिंह तंवर
- 2. 2.36 बजे

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष से सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर्स की अत्यधिक कमी से उत्पन्न सगस्या के संबंध में नियम-54 के तहत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उक्त विषय श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख में पहले ही उठाया जा चुका है। अतः अध्यक्ष महोदय ने सूचना को अस्वीकार कर दिया।

2.38 बजे

श्री पंकज पुष्कर, माननीय सदस्य ने नियम-66 के तहत उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की सूंचना के बारे में जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त सूचना विचाराधीन है तथा उचित समय आने पर इस संबंध में व्यवस्था दी जाएगी।

4. 2.41 बजे

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम-54)

1. श्री गुलाब सिंह ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी उन निर्देशों के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित किया कि निगम के अधिकारी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान विधायकों के साथ नहीं जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए :-

- 2. श्री नरेश बाल्यान
- 3. ' कर्नल देवेन्द्र सहरावत
- 4. श्री सोमनाथ भारती
- 5. सुश्री भावना गौड़
- 6. श्री महेन्द्र यादव
- •.

- 7. श्री कैलाश गहलोत
- 8. श्री करतार सिंह तंवर

9. श्री विजेन्द्र गुप्ता

(अध्यक्ष महोदय ने भी उपरोक्त विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए) श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने श्री गुलाब सिंह द्वारा उठाये गये मामले पर संक्षिप्त बक्तव्य दिया।

3.17 बजे 2. श्री अनिल कुमार बाजपेयी ने बिजली के मीटर लगाने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए :-

2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

3. श्री अजय दत्त

4. श्री अमानतुल्ला खां

5. श्री सोमनाथ भारती

श्री सत्येन्द्र जैन, उर्जा मंत्री ने श्री अनिल कुमार बाजपेयी द्वारा उठाये गये मामले पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

3.36 बजे 3. श्री महेन्द्र गोयल ने दालों की बढ़ती कीमतों के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया। श्री विजेन्द्र गुप्ता ने भी चर्चा में भाग लिया।

(अध्यक्ष महोदय ने भी उपरोक्त विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए)

श्री इमरान हुसैन, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने श्री महेन्द्र गोयल द्वारा उठाये गये मामले पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

- 7. 4.05 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु अपराहन 4.30 बजे तक के लिये रथगित की।
- 8. 4.35 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।** अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- 9. 4.36 बजे **श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री** द्वारा पुरःस्थापित शिक्षा विभाग से संबंधित तीन विधेयकों पर **आगे चर्चा** हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

13. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)

- 14. सश्री भावना गौड़
- 15. श्री जगदीश प्रधान
- 16. श्री विजेन्द्र गर्ग
- 17. श्री मदन लाल
- 18. श्री विजेन्द्र गुप्ता
- 10. <u>5.35</u> बजे

5.

6.

श्री. अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने भी विधेयकों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

11. 6.00 बजे सदन ने एक घण्टा तक बैठक की अवधि बढ़ाने पर सहमति दी।

12. 6.01 बजे श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी चर्चा का उतर दिया।

13. 6.05 बजे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान ने उपरोक्त विधेयकों के पारित होने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

14. 6.06 बजे

5

अध्यक्ष महोदय ने श्री पंकज पुष्कर से उनके द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिनमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि विचाराधीन तीनों विधेयकों को प्रवर समिति

को भेज दिया जाए। श्री पंकज पुष्कर ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया तथा कहा कि वे संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे।

15. 6.20 बजे

विधेयकों को पारित करना :

 श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 09)" पर खण्डवार विचार किया गया।

(वर्ष 2015 को पिययपर राख्या 00) भर पर किया कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित **''दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक,** 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 09)'' को पारित किया जाए।

•प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया।

श्री सौरभ भारद्वाज ने प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की।

61 सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रस्ताव का समर्थन किया। किसी भी सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया या तटस्थ नहीं रहे।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ। विधेयक पारित हुआ।

16. 6.29 av

२. श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक सं.
 10)" पर खण्डवार विचार किया गया।

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने विधेयक के खण्ड 6 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :

''विधेयक के खण्ड 6 में, जहां नई धारा 27 (क) जोड़ी जानी प्रस्तावित है, वहां दूसरी पंक्ति में 'कोई भी जो इस अधिनियम के प्रावधानों का ' शब्दों से पहले 'धारा 16 (क) के सिवाय ' को हटाया जाये। ''

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

•श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015(वर्ष 2015 का विधेयक सं. 10)" को पारित किया जाये।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया।

श्री सत्येन्द्र जैन, स्वाख्य मंत्री ने प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की।

61 सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रस्ताव का समर्थन किया। किसी भी सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया या तटस्थ नहीं रहे।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ। विधेयक पारित हुआ।

17. 6.37 बजे

3. श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)" पर खण्डवार विचार किया गया।

• श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित ''नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक,

5)

प्र • स् 6 प्र	2015(वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)" को पारित किया जाए। स्ताव मतदान के लिए रखा गया। श्री राखी बिडला ने प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की। 1 सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रस्ताव का समर्थन किया। किसी भी सदस्य ने स्ताव का विरोध नहीं किया या तटस्थ नहीं रहे। स्ताव स्वीकार हुआ। विधेयक पारित हुआ।
18. 6.42 बजे <u>अ</u>	ानुपूरक मांगों 2015-16 का प्रस्तुतीकरण तथा मतदान :- ो मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2015-16 हेतु अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत
दि	।
	नुपूरक मांगों पर मांग-अनुसार विचार किया गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार किया गया।
19. 6.47 बजे <u>वि</u>	वेनियोजन (संख्या-03) विधेयक, 2015 ो मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने सदन की अनुमति से "विनियोजन (संख्या-03)
उ वि	भेधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 17) " को सदन में पुर:स्थापित किया। प मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाये। भेधेयक पर खण्डवार विचार हुआ।
	प मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि "विनियोजन (संख्या-03) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का
	ोधेयक संख्या 17)'' को पारित किया जाये। स्तोंव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
20. 6.50 बजे 3	ाध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही बुधवार, 02 दिसम्बर, 2015 को अपराहन 2.00 बजे क के लिए स्थगित की।

भी सामोज केंग, ल्लासच मंत्री ने प्रसंधन पर भार विमालन की मांगू की।

e र चाइच्यां ने अपने त्यान पर घड़े होकर प्रत्याव का स्वयंग हिंगता चिन्ता से न

पुराष्ट्रप्रेयत "निष्कृत्य और अवियार्थ बात विका का अधिकार (दिल्ली संशोधन) पियेयक,

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव

दिल्ली 01 दिसम्बर, 2015

\$